

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 10220/2019

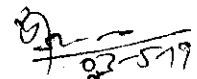
दिनांक 03.05.2019

श्री अनिल कौशिक (RJ0316), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 & बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, सीकर को दिनांक 01.04.2019 से 03.04.2019 तक 03 दिनों का परावर्तित अवकाश दिनांक 31.03.2019 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्री कौशिक की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 01, सीकर/अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 03, सीकर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की ।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 & बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, सीकर के पद पर ही की गई ।

आज्ञा से

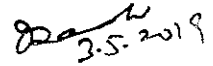

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.2(4)/21/2000/4162

दिनांक 03.05.2019

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 & बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, सीकर को उनके पत्रांक 24 दिनांक 04.04.2019 के सन्दर्भ में ।
3. श्री अनिल कौशिक (RJ0316), विशिष्ट न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 & बालक अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005, सीकर ।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 01, सीकर ।
5. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश क्रम 03, सीकर !


सहायक रजिस्ट्रार